Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001
(Registration No-663/2003)
Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

Vice President
Md. Moeezuddin
9304951990

Ajay Kumar
9835737317

Joint Secretary
Subodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
il Kumar Tiwary
9431085120

int Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 16

Date 11.02.2020

To,

The Chief Secretary,
Govt. Of Bihar, Patna
The Additional Chief Secretary,
General Administration Department
Govt. Of Bihar, Patna

Subject : To abolish the post of Additional Sub Divisional Officer and consequently amending the Bihar Administrative Service Cadre restructuring resolution no 7118 dated 30.05.2018 by enactment of Bihar Administration Service Rules.

Sir,

This refers to General Administration Department **resolution no 7118 dated 30.05.2018** by which the post of Additional Sub Divisional Officer (101) has been identified as cadre post of Bihar Administrative Service under unrevised pay band Rs 9300-34800 plus grade pay Rs 5400 (Revised pay Level 9). The post of Additional Sub Divisional Officer (101) was created by Department of General Administration vide letter no 15378/GAD dated 11.11.2014 (Photocopy attached).

(2) The creation of the post of Additional Sub Divisional Officer has violated the basic principle of hierarchical order, rule of command and it should be immediately abolished on the following grounds;

(a) Section 23(1) (Subordination of Executive Magistrates) **of Criminal Procedure Code reads as "All Executive Magistrates, other than the Additional District Magistrate, shall be subordinate to the District Magistrate, and** every Executive Magistrate (other than the Sub-divisional Magistrate) exercising powers in a Sub -division shall also be subordinate to the Sub-divisional Magistrate, subject, however, to the general control of the District Magistrate." **Every Additional Sub Divisional Officer has been empowered as executive magistrate and posted in sub division , hence technically and legally both, they are under direct subordination of Sub Divisional Magistrate**. It itself reflects conceptual error of administration while creating the post of ASDM under direct control of SDM.

(b) The post of Additional Sub Divisional Officer is under direct subordination of Sub Divisional Magistrate which is under similar unrevised pay band Rs 9300-34800 plus grade pay Rs 5400(Revised pay Level 9). Therefore, SDM and ASDM are under same pay scale of basic grade but under conflict of seniority.

(c) That by resolution no 2116/Finance dated 27/2/2019 , the post of Executive Magistrate for Rural Development Service Cadre officer under level 9 has been created. This service was meant for the post of Block Development Officer and initially appointed as supervisory level officer. This kind of upgradation has also created conceptual error of rule of command and seniority.

(d) That there is also no set of rules for transfer and posting of SDM and Additional Sub Divisional Officer from basic grade officers of BAS officers. Uncertainty and open scope of discretion in policy of transfer and posting of Basic Grade BAS officers on the post of SDM and Additional Sub Divisional Officer may cause further anomaly in rank and file of BAS cadre

officers which is neither in the interest of government nor individual officer.

(e) That the cadre strength of BAS has almost been doubled from 851 to 1634 . The ideal ratio of IAS and BAS cadre strength should be limited to 1:1.5 so that opportunity of lateral induction of young BAS officers into IAS cadre by promotion, as happening in Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh & other State, could be maximised. Hence, on this principle too , the creation of post of Additional Sub Divisional Officer is not appropriate and logical.

(f) That in context of requisition by GAD letter no-4640 dated-30.03.16, the post of SDM/SDC or Equivalent was advertised (Photocopy enclosed) for 60th, 61st & 62nd Combined Joint Competitive Examination by Bihar Public Service Commission, Patna. The plain reading of advertisement itself does not carry the name of the post Additional Sub Divisional Officer and it is beyond doubt that the post of Additional Sub Divisional Officer is not equivalent to the post of Sub Divisional Officer.

(3) That vide resolution no. 7118/GAD dated 30.5.2018(photocopy attached) , the post of Municipal Commissioner under Urban Development and Housing Department has been identified as the post for Additional Secretary of BAS officers under pay matrix Level 13 A whereas, vide letter no 05/N/Misc-24/2014/2503 dated 3/5/2018(photocopy is attached), the post of Municipal Commissioner for BAS and Urban Development Service Cadre Officer under pay scale Rs 15600-39100 + 7600/6600 respectively. This apparent is serious anomaly which means there by that Additional Secretary of BAS and offices of Urban Development service can be posted on post of Municipal Commissioner in different Municipal Corporation, therefore, the resolution of GAD dated 30.5.2018 is defective and not justifiable in nature and fit to be cancelled.

(4) All these discrepancies are serious and grave in nature so far Bihar Administrative Service Cadre is concerned and needs special attention by immediate enactment of comprehensive and integrated Bihar Administrative Service Cadre Rules .

(5) Therefore, Bihar Administrative Service Association request you to immediately abolish the post of Additional Sub Divisional Officer and amend the Bihar Administrative Service Cadre restructuring resolution no 7118 dated 30.05.2018 and accordingly enact Bihar Administrative Service Cadre Rules as soon as possible.

Encl : a/a

Yours Sincerely

11/2/2020

(Anil Kumar)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञाप संख्या–12/नि0–1009/10–सा0प्र0– /पटना–15, दिनांक–

सेवा में,
महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

रेक रूप
ति ।

द्वारा– वित्त विभाग ।

विषयः– बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए मूल कोटि के पे–बैण्ड–2 रू0 9300–34800+ग्रेड वेतन रू0 5400 में अपर अनुमंडल पदाधिकारी (Additional Sub-divisional Officer) के पदनाम से कुल 101 पदों का स्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति ।

आदेश :– स्वीकृत ।

बिहार प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन के पश्चात् राज्य में अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पदों पर बि0प्र0से0 के पदाधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी पदों पर बि0प्र0से0 के पदाधिकारी के पदस्थापित नहीं होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या एवं अन्य अनुमंडल स्तरीय प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण में हो रही कठिनाई को दूर करने तथा कानून–व्यवस्था को सुदृढ़ एवं विधि सम्मत बनाने के लिए राज्य के सभी अनुमंडल कार्यालयों में अनुमंडल पदाधिकारी के साथ–साथ एक–एक अपर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी को भी पदस्थापित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों के लिए राज्य के 101 अनुमंडल कार्यालयों में पे–बैण्ड–2 रू0 9300–34800+ ग्रेड वेतन रू0 5400 में अपर अनुमंडल पदाधिकारी (Additional Sub-divisional Officer) के 101 पद स्थायी रूप से सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का नियंत्री विभाग सामान्य प्रशासन विभाग हैं । इसलिए उपर्युक्त अपर अनुमंडल पदाधिकारी का नवसृजित पद सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन रहेंगे ।

3. पदों के सृजन पर कुल अनुमानित वार्षिक व्यय वेतनमान के निम्नतम स्तर पर परिगणित रूपये 5,45,18,025 (पाँच करोड़ पैंतालिस लाख अठारह हजार पचीस रूपये) (विवरणी परिशिष्ट–1 संलग्न) मात्र होगी । पदाधिकारियों के पदस्थापन के उपरान्त इसमें वृद्धि होने की संभावना बनी रहेगी । यह वित्तीय भार बजट–मुख्यशीर्ष–2053–जिला प्रशासन–00 –094–अन्य स्थापनायें–0001 अनुमंडलीय स्थापनायें, विपत्र कोर्ड–एन 2053000940001 एवं मांग सं0–33 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

अनुलग्नक–यथोक्त ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(विमलेश कुमार झा)

ांक–12/नि0–1009/10–सा0प्र0– /पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय संलेख ज्ञापांक 13314 दिनांक 23.09.2014 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 30.9.2014 में मद संख्या–07 के रूप में स्वीकृति के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–12/नि0–1009/10–सा0प्र0– 15378 /पटना–15, दिनांक– 11.11.14

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सामान्य प्रशासन विभाग के सभी राजपत्रित पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/11/14

सरकार के उप सचिव

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

60वीं, 61वीं एवम् 62वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारम्भिक / मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 21 / बी.पी.एस.सी.–09 / 2016 सा. प्र.–4640, पटना–15, दिनांक 30.03.2016 द्वारा 60वीं 61वीं एवं 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को एक ही परीक्षा के माध्यम से आयोजित करने की संसूचित सहमति के आलोक में उक्त परीक्षा के लिए सरकार के विभिन्न विभागों से अलग–अलग सेवाओं / संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियाँ (आरक्षण कोटिवार) निम्नांकित सारणी 01 में दर्शायी गयी हैं।

सारणी – 01

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान + ग्रेड पे	आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ						कुल पद	न्यूनतम उम्र	अधिकतम उम्र
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला			
1.	बिहार प्रशासनिक सेवा (अनुमंडल पदाधिकारी / वरीय उप समाहर्ता एवं समकक्ष)	9300-34800/- G.Pay 5400	122	39	03	44	29	07	244	22 वर्ष	अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष
2.	बिहार पुलिस सेवा (पुलिस उपाधीक्षक)	9300-34800/- G.Pay 5400	15	04	00	06	05	00	30	20 वर्ष	
3.	बिहार वित्त सेवा (वाणिज्यकर पदाधिकारी)	9300-34800/- G.Pay 5400	37	12	00	13	09	02	73	22 वर्ष	
4.	जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन)	9300-34800/- G.Pay 5400	03	01	00	01	00	00	05	20 वर्ष	
5.	उत्पाद निरीक्षक	9300-34800/- G.Pay 4800	01	01	00	00	00	00	02	20 वर्ष	
6.	बिहार प्रोबेशन सेवा (प्रोबेशन पदाधिकारी)	9300-34800/- G.Pay 4200	27	12	00	12	07	02	60	21 वर्ष	
7.	ग्रामीण विकास पदाधिकारी	9300-34800/- G.Pay 4200	06	01	00	03	01	02	13	21 वर्ष	
8.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी	9300-34800/- G.Pay 5400	03	00	00	00	00	00	03	22 वर्ष	
9.	नियोजन पदाधिकारी / जिला नियोजन पदाधिकारी	9300-34800/- G.Pay 4800	03	00	00	00	00	00	03	22 वर्ष	
10.	बिहार निबन्धन सेवा (अवर निबंधक)	9300-34800/- G.Pay 4800	07	01	00	01	02	00	11	22 वर्ष	
11.	बिहार श्रम सेवा (श्रम अधीक्षक)	9300-34800/- G.Pay 4800	03	04	00	00	00	00	07	22 वर्ष	
12.	ईख पदाधिकारी	9300-34800/- G.Pay 4800	02	00	00	00	00	00	02	22 वर्ष	
13.	बिहार निर्वाचन सेवा (अवर निर्वाचन पदाधिकारी)	9300-34800/- G.Pay 4800	04	00	00	00	00	00	04	22 वर्ष	
14.	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ	9300-34800/- G.Pay 4800	04	01	00	01	01	00	07	22 वर्ष	
15.	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	9300-34800/- G.Pay 4800	01	01	00	00	01	00	03	22 वर्ष	
16.	राजस्व अधिकारी	9300-34800/- G.Pay 4200	87	28	02	31	22	05	175	22 वर्ष	
	कुल		325	105	5	112	77	18	642		

टिप्पणी : I. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक – 2342, दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक – 2526, दिनांक 18.02.2016 के आलोक में क्रमशः महिलाओं एवं बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती / नतिनी / पोता / पोती के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमानुकूल देय है।

II. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं. – 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में निःशक्त अभ्यर्थियों को नियमानुसार 3% आरक्षण देय है।

...संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाईन (online) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। ...ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

...क योग्यता:- ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में स्नातक या समकक्ष डिग्री के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा।

4. आरक्षण:-

(i) आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नही करने पर आरक्षण का लाभ नही मिलेगा।

(ii) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं.-673, दिनांक-08.03.2011 के आलोक में ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए :-

(a) जाति प्रमाण पत्र

(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र

उसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए :-

(a) जाति प्रमाण पत्र,

(b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र

(c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन करते समय विकलांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले विकलांग उम्मीदवार के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय आयोग द्वारा उसकी मांग किये जाने पर उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सके।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16144, दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(vi) <u>भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए आरक्षण</u> – सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 2526, दिनांक 18.02.2016 के द्वारा भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/ पोता/पोती के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण देय है। ऐसे आरक्षण का दावा करनेवाले अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

. **आयु–सीमा:** [i] (क) उक्त परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा निम्नरूपेण निर्धारित है:-

01.8.2014 – 60वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 01.8.2015 – 61वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 01.8.2016 – 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा	अनारक्षित (पुरुष) – 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) – 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) – 42 वर्ष।

ख) उक्त परीक्षा में न्यूनतम उम्र सीमा निम्न प्रकार निर्धारित है:-

01.8.2014 – 60वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 01.8.2015 – 61वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 01.8.2016 – 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा	सारणी – 01 में अंकित सेवाओं में क्रम संख्या 1, 3 एवं 8 से 16 तक की सेवाओं के लिए 22 वर्ष, क्रम संख्या 2, 4, 5 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष तथा क्रम संख्या 6 एवं 7 के लिए 21 वर्ष।

ग) (i) **60वीं से 62वीं तक की किसी भी एक परीक्षा में उम्र सीमा के आधार पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को उक्त सभी परीक्षाओं के लिए अर्हित माना जाएगा।**

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10.09.2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्वर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट तथा इस परीक्षा सहित, प्रारम्भिक परीक्षा में भाग लेने का कुल 3 (तीन) अवसर अनुमान्य है।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त विकलांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(v) 01 जनवरी, 1963 के बाद एन.सी.सी. में भर्त्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट/अनुदेशकों को एन.सी.सी. से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन ऊपर कंडिका 1 में उल्लिखित सेवाओं में पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन.सी.सी. में पूर्णकालिक सेवा की हो और यदि परिणामी उम्र, किसी विशिष्ट सेवा या पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि वे उन सेवाओं में या पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्त्तें पूरी करते हैं।

...सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को ... वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी ... आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

...एवं कमीशण्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ...पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे पदों पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त–समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्त्ते कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।

ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) की कारा सेवा हेतु अधिकतम उम्र सीमा तीन वर्ष तथा अन्य सेवाओं के लिए पाँच वर्ष अधिक होगी।

सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि का सही–सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा और ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र नहीं रहने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी विशेष की अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

ारीरिक मता : बिहार पुलिस सेवा तथा जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन) के पुरूष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 5 ईंच और न्यूनतम छाती की माप, बिना फुलाये, 32 (बत्तीस) ईंच होनी चाहिए। परन्तु, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपर्युक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 3 ईंच तथा छाती की माप, बिना फुलाये, 31 (एकतीस) ईंच होनी चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 2 ईंच होनी चाहिए।

ा सूची : उपर्युक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार उपर्युक्त सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की समेकित, एकीकृत रिक्तियों को भरने के निमित्त, सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की विहित, किन्तु समेकित, एकीकृत मेधासूची प्रकाशित की जायगी; तथा उनकी अन्तर्वीक्षा के पश्चात् अन्तिम परीक्षाफल भी समेकित, एकीकृत किन्तु सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में ही निर्गत/प्रकाशित किया जायगा।

ल्क: बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों जिनकी निःशक्तता 40% या उससे उपर की है एवं इस संबंध में चिकित्सा पर्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है, के लिए 150/– (एक सौ पचास) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये, कुल 200/– (दो सौ) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि एवं अन्य राज्य के सभी उम्मीदवारों के लिए 600/– (छः सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 650/– (छः सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। अभ्यर्थी अपने पास चालान की प्रति सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त चालान की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

वैसे सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो निःशक्तता/अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते है और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते है तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

ारम्भिक रीक्षा :

(i) सम्मिलित, संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।

(ii) इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रमाग तथा यहां की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ–व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।

The Branch Manage...
State ...

प्रारम्भिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, अनुवर्ती सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु घोषित किया जायेगा। इस निमित्त, कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (विकलांग) उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छानुसार एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा।

प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क (मुख्य परीक्षा हेतु) नियमानुकुल ढंग से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में बैंक चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा।

मुख्य परीक्षा हेतु ऐच्छिक विषय एवं कोड निम्नवत है –

क्रम संख्या	विषय	Subject	विषय कोड
1.	कृषि विज्ञान	Agriculture	04
2.	पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	Animal Husbandry & Veterinary Science	05
3.	मानव विज्ञान	Anthropology	06
4.	वनस्पति विज्ञान	Botany	07
5.	रसायन विज्ञान	Chemistry	08
6.	सिविल इंजीनियरिंग	Civil Engineering	09
7.	वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि	Commerce & Accountancy	10
8.	अर्थशास्त्र	Economics	11
9.	विद्युत इंजीनियरिंग	Electrical Engineering	12
10.	भूगोल	Geography	13
11.	भू–विज्ञान	Geology	14
12.	इतिहास	History	15
13.	श्रम एवं समाज कल्याण	Labour and Social Welfare	16
14.	विधि	Law	17
15.	प्रबन्ध	Management	18
16.	गणित	Mathematics	19
17.	यांत्रिक इंजीनियरिंग	Mechanical Engineering	20
18.	दर्शन शास्त्र	Philosophy	21
19.	भौतिकी	Physics	22
20.	राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	Political Science And International Relations	23
21.	मनोविज्ञान	Psychology	24
22.	लोक प्रशासन	Public Administration	25
23.	समाज शास्त्र	Sociology	26
24.	सांख्यिकी	Statistics	27
25.	प्राणी विज्ञान	Zoology	28
26.	हिन्दी भाषा और साहित्य	Hindi Language & Literature	29
27.	अंग्रेजी भाषा और साहित्य	English Language & Literature	30
28.	उर्दू भाषा और साहित्य	Urdu Language & Literature	31
29.	बंगला भाषा और साहित्य	Bangla Language & Literature	32
30.	संस्कृत भाषा और साहित्य	Sanskrit Language & Literature	33
31.	फारसी भाषा और साहित्य	Persian Language & Literature	34
32.	अरबी भाषा और साहित्य	Arabic Language & Literature	35
33.	पाली भाषा और साहित्य	Pali Language & Literature	36
34.	मैथिली भाषा और साहित्य	Maithili Language & Literature	37

किसी भी उम्मीदवार को उपर्युक्त विषयों में से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा।

अभ्यर्थी प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य ; सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का श पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम ।

त्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य ा पाये जाने पर आपकी अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

...से संबंधित तिथि एवं अन्य निदेश निम्नांकित हैं:–

	...लाईन प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि	27.09.2016 से
	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	27.09.2016 से 31.10.2016 तक
	बैंक चालान डाउनलोड करने की तिथि	27.09.2016 से 31.10.2016 तक
	बैंक में चालान जमा करने की तिथि	27.09.2016 से 31.10.2016 तक
(iii)	डैशबोर्ड पर चालान विवरणी भरने की तिथि	29.09.2016 से 31.10.2016 तक
(iv)	ऑनलाईन आवेदन भरने की तिथि	27.09.2016 से 03.11.2016 तक

3\. ...आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाईन आवेदन भरते ...मय उपलब्ध है।

...पर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ ...लग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन ...वेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक ...वेस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की ...यी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के ...धार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी ...कार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

...म्मीदवार, चालान में अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा ...ुल्क जमा करेंगे।

...स विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र, चालान की प्रति एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन ...को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी ...ी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत ...करना होगा।

...ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना ...आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि चालान पर अंकित Registration Number एवं हार्ड कॉपी पर अंकित Registration Number एक ही (same) है।

मात्र रजिस्ट्रेशन करने एवं बैंक में चालान जमा करने से यह नही माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।

उम्मीदवारों को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि बैंक में चालान राशि जमा करने के बाद उसी दिन डैश बोर्ड पर चालान विवरणी अंकित कर लेंगे। चालान विवरणी अंकित करने के 24 घंटे बाद ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र खुलेगा। उम्मीदवार दिनांक 31.10.2016 तक निश्चित रूप से चालान विवरणी डैश बोर्ड पर अंकित कर लेंगे।

इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करने समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

...र असैनिक सेवा में सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा संरचना में किये गये संशोधन से सम्बन्धित आवश्यक ...ना आयोग के वेबसाईट – www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। साथ ही बिहार असैनिक सेवा (कार्यपालिका ...खा) और बिहार कनीय असैनिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली, 1951 के परिशिष्ट–"घ" में अंकित परीक्षा संरचना में ...ये गये संशोधन की विस्तृत विवरणी एवं पुनरीक्षित पाठ्यक्रम भी आयोग के उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है।

अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित, ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की स्थिति में ऑनलाई... आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा और पूर्ण रूप से इसकी जबावदेही अभ्य... की होगी।

15/9/2016

अपर सचिव–सह–परीक्षा नियंत्र...
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

56वीं, 57वीं, 58वीं एवम् 59वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2113, दिनांक 13.02.2014 द्वारा 56वीं से 59वीं तक के सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की संसूचित सहमति के क्रम में सरकार क विभिन्न सेवाओं/संवर्गों से प्राप्त रिक्तियों के आलोक में, सुयोग्य भारतीय नागरिकों से आयोग द्वारा निर्धारित ओ.एम.आर. आवेदन पत्र, जो मुख्य डाकघर, पटना सहित बिहार राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्थित प्रधान डाकघरों एवं अन्य डाकघरों, कुल 52 डाकघरों से दिनांक 02.09.2014 से 15.10.2014 तक विक्रय किया जाएगा, में आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। सरकार के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों से प्राप्त रिक्तियों की विवरणी निम्नलिखित (सारणी – 01) है।

सारणी – 01

क्र.सं.	पद का नाम	आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ						कुल पद	न्यूनतम उम्र	अधिकतम उम्र
		GEN (01)	SC (02)	ST (03)	EBC (04)	BC (05)	BCL (06)			
1.	बिहार प्रशासनिक सेवा (उप समाहर्ता)	50	16	01	18	12	03	100	22 वर्ष	अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिल – 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष
2.	बिहार पुलिस सेवा (पुलिस उपाधीक्षक)	71	19	02	17	10	02	121	20 वर्ष	
3.	पुलिस उपाधीक्षक (निगरानी विभाग)	06	02	--	02	01	--	11	20 वर्ष	
4.	बिहार वित्त सेवा (वाणिज्यकर पदाधिकारी)	45	15	01	17	10	02	90	22 वर्ष	
5.	जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन)	02	--	01	--	01	--	04	20 वर्ष	
6.	उत्पाद निरीक्षक	07	03	01	01	--	--	12	20 वर्ष	
7.	सहायक योजना पदाधिकारी/सहायक निदेशक	34	10	03	13	08	03	71	21 वर्ष	
8.	बिहार प्रोबेशन सेवा (प्रोबेशन पदाधिकारी)	11	--	--	02	02	01	16	21 वर्ष	
9.	ग्रामीण विकास पदाधिकारी	12	01	--	04	03	02	22	21 वर्ष	
10.	नगर कार्यपालक पदाधिकारी	55	17	01	19	13	03	108	21 वर्ष	
11.	बिहार शिक्षा सेवा	25	15	01	21	16	04	82	22 वर्ष	
12.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी	02	01	--	--	--	--	03	22 वर्ष	
13.	नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी	05	01	--	02	01	--	09	22 वर्ष	
14.	बिहार निबन्धन सेवा (अवर निबंधक)	11	03	01	04	--	--	19	22 वर्ष	
15.	बिहार कारा सेवा (काराधीक्षक)	09	03	--	02	02	01	17	22 वर्ष	
16.	बिहार श्रम सेवा (श्रम अधीक्षक)	07	01	--	--	01	--	09	22 वर्ष	
17.	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा	09	04	--	02	01	01	17	22 वर्ष	
18.	ईख पदाधिकारी	01	01	--	--	--	--	02	22 वर्ष	
19.	सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई	03	01	--	--	01	--	05	22 वर्ष	
20.	बिहार निर्वाचन सेवा (अवर निर्वाचन पदाधिकारी)	12	03	--	04	02	01	22	22 वर्ष	
21.	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ	01	01	--	--	01	--	03	22 वर्ष	
22.	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	03	--	--	--	--	--	03	22 वर्ष	
	कुल:	381	117	12	128	85	23	746		

दिनांक 15.10.2014 को अपराह्न 5.00 बजे तक भरे हुए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र का लिफाफा डाकघर, जिससे ओ.एम.आर. आ पत्र क्रय किया गया है, में ही जमा किया जायेगा। सम्बन्धित डाकघरों की सूची, जिनसे ओ.एम.आर. आवेदन पत्र विक्रय किया जाएगा, की वि निम्नलिखित (सारणी – 02) है।

सारणी – 02

1. पटना जी.पी.ओ.
2. बांकीपुर एच.ओ.
3. पटना यूनिवर्सिटी एस.ओ.
4. पटना सिटी एस.ओ.
5. एल.बी.एस. नगर एस.ओ.
6. दानापुर कैंट एस.ओ.
7. बिहारशरीफ एच.ओ.
8. गया एच.ओ.
9. मगध यूनिवर्सिटी एस.ओ.
10. जहानाबाद एच.ओ.
11. अरवल एम.डी.जी.
12. नवादा एच.ओ.
13. औरंगाबाद एच.ओ.
14. शेरघाटी एस.ओ.
15. आरा एच.ओ.
16. बक्सर एच.ओ.
17. सासाराम एच.ओ.
18. डेहरी–ऑन–सोन एस.ओ.
19. भभुआ एम.डी.जी.
20. मुजफ्फरपुर एच.ओ.
21. बिहार यूनिवर्सिटी एस.ओ.
22. हाजीपुर एच.ओ.
23. सीतामढ़ी एच.ओ.
24. शिवहर एम.डी.जी.
25. छपरा एच.ओ.
26. मढ़ौरा एच.ओ.
27. सीवान एच.ओ.
28. गोपालगंज एच.ओ.
29. बेतिया एच.ओ.
30. मोतिहारी एच.ओ.
31. दरभंगा एच.ओ.
32. लहेरियासराय एच.ओ.
33. मधुबनी एच.ओ.
34. समस्तीपुर एच.ओ.
35. पूर्णिया एच.ओ.
36. कटिहार एच.ओ.
37. किशनगंज एम.डी.जी.
38. अररिया एम.डी.जी.
39. सहरसा एच.ओ.
40. मधेपुरा एम.डी.जी.
41. सुपौल एम.डी.जी.
42. भागलपुर एच.ओ.
43. कहलगांव एस.ओ.
44. नवगछिया एस.ओ.
45. टी.एन.बी. कॉलेज
46. बांका एच.ओ.
47. मुंगेर एच.ओ.
48. जमुई एच.ओ.
49. शेखपुरा एस.ओ.
50. लखीसराय एम.डी.
51. बेगुसराय एच.ओ.
52. खगड़िया एस.ओ.

2. **डाकघर से विक्रय किए जाने वाले ओ.एम.आर. आवेदन प्रपत्र का मूल्य केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनज उम्मीदवारों के लिए ₹ 175/– (एक सौ पचहत्तर रूपये मात्र) एवं बिहार राज्य समेत सभी राज्यों के अन्य उम्मीदवारों के लिए ₹ 4 (चार सौ रूपये मात्र) है।**

2.1 ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में उल्लिखित महत्वपूर्ण निर्देशों तथा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध सूचना पुरितका को सावधानीपूर्वक पढ़ आवेदन भरें। ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में काट–कूट/पुनलेखन न करें।

2.2 भरे हुए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र को निदेशानुसार प्रावधानित लिफाफा में रखें।

2.3 **उक्त प्रावधानित लिफाफा के ऊपर दाहिने कोने पर उम्मीदवार ओ.एम.आर. आवेदन पत्र संख्या ब्लू/काले स्याही के बॉल प्वायंट अनिवार्यतः अंकित करें, अन्यथा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र डाकघर द्वारा स्वीकार नहीं किया जायगा।** तदपरान्त उक्त लिफाफा को स सम्बन्धित डाकघर में दिनांक 15.10.2014 को अपराह्न 5.00 बजे तक निश्चित रूप से जमा कर पावती रसीद प्राप्त करें इस लिफाफा को पुनः लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अन्तिम तिथि के बाद सम्बन्धित डाकघरों द्वारा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र का लिफाफा कतई स्वी किया जायगा।

2.4 **उम्मीदवार जिस डाकघर से ओ.एम.आर. आवेदन प्रपत्र का क्रय करेंगे उसे भरने के बाद उसी डाकघर में जमा करेंगे। आवेद करने के समय सम्बन्धित डाकघर द्वारा उम्मीदवार को प्राप्ति रसीद दी जाएगी। उम्मीदवार उस प्राप्ति रसीद को अपने पास रखे भविष्य में, आयोग से उसके एवं ओ.एम.आर. आवेदन पत्र संख्या के आधार पर पत्राचार कर सकते हैं।**

3. 56वीं से 59वीं तक की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाएँ एक साथ, समेकित रूप से, आयोजित की जायेंगी; अतएव एक ही आवेदन पत्र भरा जा उम्मीदवार को एक ही अनुक्रमांक आवंटित किया जाएगा।

4. **शैक्षिक योग्यता** : आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक आवेदक को किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समक अवश्य होना चाहिए।

...ु–सीमा [i] (क) उक्त परीक्षा में **अधिकतम उम्र सीमा** निम्नरूपेण निर्धारित है:–

1.8.2010 – 56वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
1.8.2011 – 57वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
1.8.2012 – 58वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
1.8.2013 – 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
} अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष।

उक्त परीक्षा में **न्यूनतम उम्र सीमा** निम्न प्रकार निर्धारित है:–

1.8.2010 – 56वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
1.8.2011 – 57वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
1.8.2012 – 58वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
1.8.2013 – 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
} सारणी – 01 में अंकित सेवाओं में क्रम संख्या 1, 4 एवं 11 से 22 तक की सेवाओं के लिए 22 वर्ष, क्रम संख्या 2, 3, 5 एवं 6 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष तथा क्रम संख्या 7 से 10 तक की सेवाओं के लिए 21 वर्ष।

56वीं से 59वीं तक की किसी भी एक परीक्षा में उम्र सीमा के आधार पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को उक्त सभी परीक्षाओं के लिए अर्हित माना जाएगा।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10.09.2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्वर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05(पाँच) वर्षों की छूट तथा इस परीक्षा सहित, प्रारम्भिक परीक्षा में भाग लेने का कुल 3 (तीन) अवसर अनुमान्य है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त विकलांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

जो उम्मीदवार बिहार सरकार की सेवा में हैं तथा सम्पुष्ट हैं, वे उम्र सीमा के अन्दर रहने पर भी बिहार पुलिस सेवा, जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन) एवं बिहार कारा सेवा (काराधीक्षक) में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे (इस शर्त को विलोपित करने से सम्बन्धित विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है। सरकार द्वारा इस बिन्दु पर लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी)।

01 जनवरी, 1963 के बाद एन.सी.सी. में भर्त्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट/अनुदेशकों को एन.सी.सी. से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन ऊपर कंडिका 1 में उल्लिखित सेवाओं में पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन.सी.सी. में पूर्णकालिक सेवा की हो आर यदि परिणामी उम्र, किसी विशिष्ट सेवा या पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि वे उन सेवाओं में या पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्त्ते पूरी करते हैं।

कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

) भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशण्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे पदों पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शत–समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हो, बशर्ते कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।

ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, उनके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) की कारा सेवा हेतु ऊपरी उम्र सीमा तीन वर्ष तथा अन्य सेवाओं के लिए पाँच वर्ष अधिक होगी।

सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

शारीरिक क्षमता : बिहार पुलिस सेवा तथा जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन) के उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 5 ईंच और न्यूनतम छाती की माप, बिना फुलाये, 32 (बत्तीस) ईंच होनी चाहिए। परन्तु, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपर्युक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 3 ईंच तथा छाती की माप, बिना फुलाये, 31 (एकतीस) ईंच होनी चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 2 ईंच होनी चाहिए।

रिक्तियाँ : उक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार संपुष्ट कुल रिक्तियों का विवरण सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षाफल के साथ ही प्रकाशित किया जायगा जो समेकित एवं एकीकृत होगा न कि प्रत्येक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षावार अलग–अलग।

मेधा सूची : उपर्युक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार उपर्युक्त सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की समेकित, एकीकृत रिक्तियों को भरने के निमित्त, सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की विहित, किन्तु समेकित, एकीकृत मेधासूची प्रकाशित की जायगी; तथा उनकी अन्तर्वीक्षा पश्चात् अन्तिम परीक्षाफल भी समेकित, एकीकृत किन्तु सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में ही निर्गत/प्रकाशित किया जायगा।

प्रारम्भिक परीक्षा :

(i) सम्मिलित, संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा वस्तुनिष्ठ जो 150 अंकों की एकल विषय, सामान्य अध्ययन, में 2 (दो) घंटों की होगी। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।

(ii) इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सामसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहां की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ–व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।

(iii) इस प्रारम्भिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का एक ही परीक्षाफल, अनुवर्ती सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त घोषित किया जायेगा। इस निमित्त, कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार क संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (विकलांग) उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

उक्त सफल उम्मीदवारों से सम्मिलित, संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से, पुनः, ससमय, आवेदन आमन्त्रित किये जायेंगे। **प्रारम्भिक परीक्षा एवम् मुख्य परीक्षा के आवेदनों में दी गयी सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।**

वैसे अभ्यर्थी प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

आवेदक ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के स्तम्भ 1 – आवेदित सत्र के सामने वृताकार गोले में अंकित संख्या 1, 2, 3 एवं 4 में से कोई एक गोले को या सभी गोलों को काली/ब्लू स्याही के बॉल प्वायंट पेन से भरेंगे, यथा, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 56वीं के लिए 1, 57वीं के लिए 2, 58वीं के लिए 3 एवं 59वीं के लिए 4 एवं उसके ऊपर के आयताकार बॉक्स में भरे गये वृताकार गोले की संख्या को ही लिखेंगे।

उम्मीदवार का नाम, पिता/पति का नाम लिखने एवं गोले को काला करने के क्रम में आवेदक अपने नाम के शब्दों के बीच एक बॉक्स को खाली रखेंगे, यथा, ANIL KUMAR RAM को बॉक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही गोलों को काला करेंगे:–

A	N	I	L		K	U	M	A	R		R	A	M	